न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 164/2017

रामावतार पुत्र रामलाल यादव जाति यादव निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....अपीलांट

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र कजोडमल यादव जाति यादव निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

..... रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामान्तकरण संख्या 50 राजस्व अपील कैम्प जयपुर दिनांक 27.01.1983 के विरूद्व।

निर्णय दिनांकः 04.04.2018

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, सांगानेर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 27.01.1983 द्वारा ग्राम मुरलीपुरा, तहसील सांगानेर स्थित खसरा नंबर 297 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के नाम स्वीकार किये जाने से असंतुष्ट होकर मय मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र सहित दिनांक 09.10.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय की मिसल तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश कुमार उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 की ओर पैरोकार सरकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर उभय पक्ष एवं विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मुरलीपुरा तहसील सांगानेर स्थित अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 297 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा पूर्व खातेदार कल्याण पुत्र घासी जाति गुर्जर के कब्जेकाश्त थी। अपीलांट व रेस्पाडेन्ट सख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 17 जनवरी 1983 को क्रय कर कब्जा भूमि का प्राप्त किया। उक्त भूमि के दौरान सेटलमेन्ट साबिक ख.न. 297 के नये ख.न. 30 रकबा 0.71 हैक्टर बनाये गये है। अपीलांट व रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ने राजस्व अभियान के दौरान राजस्व अपील कैम्प जयपुर में दिनांक 27.01.1983 को उक्त भूमि का नामान्तकरण खोले जाने हेतु मय विक्रयपत्र दिनांक 17.01.1983 को संलग्न कर आवेदन किया। जिस पर पटवारी ने

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

दिनांक 27.01.1983 को ही विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी ने स्वयं की रिपोर्ट प्रस्तुत कर क्रेता अपीलांट व रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के नाम अंकन स्वीकार किया जाना स्वीकार किया। लेकिन सहबन से कॉलम नंबर 9 में रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के नाम ही दर्ज किया जबकि विक्रय पत्र दिनांक 17.01.1983 के अनुसार अपीलार्थी के नाम अंकन नहीं किया गया। जबकि उक्त क्रयशुदा भूमि पर अपीलांट व रेस्पाडेन्ट संख्या 1 का बराबर हिस्सा 1/2 पर मनबट से काबिज काश्त है। अपीलांट ने अपनी कब्जे काश्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए दिनांक 12.09.2017 को तहसील सांगानेर में आवेदन कर नकल प्राप्त करने का प्रस्तुत किये जाने पर अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी हुई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा आदेश दिनांक 27.01.1983 द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 50 खारिज किया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय को सद्भावी क्रेतागण के हक में नामान्तकरण भरा जाकर तस्दीक के आदेश प्रदान करे एवं राजस्व रिकॉर्ड में तदनुसार अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ने वकील अपीलांट के कथनो पर सहमति व्यक्त की तथा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित भूमि अपीलांट व रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की क्रय की गयी भूमि है जिसमें दोनो का बराबर–बराबर 1/2 हिस्सा है। सहबन से अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 50 में सम्पूर्ण भूमि रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के नाम से ही दर्ज कर दी जबकि अपीलांट का हिस्सा 1/2 दर्ज होना चाहिए था। अपील अपीलांट स्वीकार की जाने में रेस्पाडेन्ट संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण नियमों की पालना करते हुए विवादित भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है इसमें केवल त्रुटिवश अपीलांट का नाम सहबन से दर्ज नहीं किया गया। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने में पेरोकार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं पैरोकार सरकार व विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल नामान्तकरण एवं विक्रय पत्र की प्रस्तुत फोटो प्रति का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण जो दिनांक 27.01.1983 को स्वीकार किया गया के अवलोकन से जाहिर है कि पटवारी हल्का ने उक्त वर्णित भूमि का नामान्तकरण विक्रय पत्र दिनांक 17.01.1983 के आधार पर व क्रेता अपीलांट व रेस्पाडेन्ट संख्या 1 का भूमि पर कब्जे काश्त होने से भरकर वास्ते तस्दीक तहसीलदार सांगानेर को पेश

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण के कॉलम संख्या 9 में सहबन से केवल रेस्पाडेन्ट संख्या 1 का नाम ही दर्ज किया गया जबकि विक्रय पत्र दिनांक 17.01.1983 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि को अपीलांट व रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के द्वारा क्रय की है जिसमें अपीलांट व रेस्पाडेन्ट संख्या एक बराबर–बराबर हिस्सेदार है। अपीलाधीन नामान्तकरण के कॉलम संख्या 9 में अपीलान्ट का नाम भी होना चाहिए जो न्यायोचित एवं विधिसंगत है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर के निर्णय दिनांक 27.01.1983 द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 50 बाबत ग्राम मुरलीपुरा तहसील सांगानेर निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि नामान्तकरण के कॉलम संख्या 9 में अपीलार्थी एवं रेस्पाडेन्ट संख्या एक का बराबर हिस्सा 1/2 दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। साथ ही तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि तत्कालीन हल्का पटवारी, सर्किल गिरदावर तथा पीठासीन अधिकारी के विरूद्व विभागीय जाँच की कार्यवाही भी प्रस्तावित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अतिरिक्त कलक्टर–प्रथम
जयपुर

Scanned by CamScanner